

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION NEW DELHI **REGIONAL OFFICE**



पंजीकरण प्रमाण पत्र **CERTIFICATE OF REGISTRATION**

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं) (Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या N-14.03354

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अकारा कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड करते हए

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

Akara Capital Advisors Private Limited

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन जनवरी

दो हज़ार सत्रह

तारीख को जारी किया गया।


Given under my hand at New Delhi day of Janauary

16th

कुलभूषण पंडित

(महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक)





ત્રુલામારન પ્રચાનતત્ર હાતના અલગા પ્રચાનાના પ્રાવાદાત આવેલા 1. The Certificate of Registration of a certified copy कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तथा अन्य कार्यालयों, शाखाओं में, thereof shall be kept displayed at the Registered Office यदि कोई हों, प्रदर्शित की जायेगी। and other offices, branches, if any, of your company. 2. आपकी कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक 2. The Certificate of Registration is issued to your अधिनियम, 1934 के अध्याय III वी के अंतर्गत निर्धारित समस्त company subject to your continued adherence to all the शर्तों तथा मानदंडों का निरंतर पालन किये जाने की शर्त के अधीन conditions and parameters stipulated under Chapter III जारी किया जा रहा है। B of the Reserve Bank of India Act, 1934. 3. आपकी कंपनी को बैंक द्वारा जारी तथा उस पर यथालागू 3. Your company shall be required to comply with all निदेशों, दिशानिर्देशों / अनुदेशों, आदि की अपेक्षाओं का पालन the requirements of the Directions, guidelines / करना होगा। instructions, etc. issued by the Bank and as applicable to it. 4. यदि आपकी कंपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापनों आदि में 4. If your company desires to indicate directly or यह दर्शाना चाहती है कि उसके पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी indirectly in any advertisement, etc. that the company is किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो इस तरह के विज्ञापन में having a Certificate of Registration issued by the निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये:-Reserve Bank of India, such advertisement should invariably contain a statement as under: "कंपनी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक "The company is having a valid Certificate of ु छननवरी, २०१३ का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है। तथापि Registration dated January 16, 2017 issued by the भारतीय रिज़र्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति Reserve Bank of India under Section 45 IA of the अथवा कंपनी द्वारा दिये गये किसी विवरण अथवा प्रतिवेदन अथवा Reserve Bank of India Act, 1934. However, the RBI व्यक्त की गयी किसी राय की सत्यता के लिए और कंपनी द्वारा जमाराशियों की अदायगी / देयताओं के उन्मोचन के लिए कोई does not accept any responsibility or guarantee about the जिम्मेदारी अथवा गारंटी स्वीकार नहीं करता।" present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for repayment of deposits / discharge of liabilities by the company." 5. @आपको कंपनी को जनता की जमाराशियां स्वीकार करने / 5@. Your company is not allowed to accept / hold public रखने की अनुमति नहीं है। deposits. 6*. Your company must not accept any public deposits अगपकी कंपनी को जनता से फिलहाल कोई भी जमाराशि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। दो वर्ष की अवधि तक परिचालन में for the time being. After the company has been in रहने के बाद यदि कंपनी जनता से जमाराशियां जुटाना चाहे तो वह operation for a period of two years, if it intends to raise दो वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र और किसी मान्यता प्राप्त साख public deposits, it may approach the Bank with the निर्धारण एजेंसी से मीयादी जमाराशियों के लिए साख निर्धारण audited Balance Sheets for two years and a credit rating (क्रेडिट रेटिंग) के साथ बैंक से अनुरोध कर सकती है। आपकी for fixed deposits from one of the recognised rating कंपनी हमसे विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही जनता की agencies. Your company will accept public deposits only जमाराशि स्वीकार करेगी। after obtaining specific approval from us. 7. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कारोबार प्रारंभ करने की 7. The date when your company has commenced तारीख से बैंक को अवगत कराया जाये। business as a non-banking financial institution may be advised to the Bank. @ उन कंपनीयों पर लागू, जिन्हें उनके बोर्ड के इस संकल्प के @ Applicable to companies, to whom Certificate of आधार पर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है कि वे भारतीय Registration has been issued on the basis of their Board रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना जनता की जमाराशियां Resolution not to accept public deposits without prior स्वीकार न करें। written permission of RBI. * जनवरी 9, 1997 को या उसके बाद निगमित नयी कंपनियों पर * Applicable to new companies incorporated on or after January 9, 1997